तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/5/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। खातेदार संपा वल्द भंवरलाल द्वारा राजस्थान काश्तकारी (Fixation of ceiling on land) Govt. rules 1963 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रपत्र 4 भरकर पेश नहीं करने के कारण तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नियम 13 के तहत खातेदार की भूमि का प्रपत्र 4 भरकर प्रस्तुत किया गया तथा खातेदार के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय III B के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। न्यायालय परगना अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक २५.11.1975 को निम्न निर्णय पारित किया गया - "खातेदार के परिवार के सदस्यों की संख्या 5 मानी जा चुकी है अतः उसे 30.00 स्टै. एकड़ भूमि रखने का अधिकार है, जबकि उसके पास 47.39 स्टै. एकड़ भूमि है। इस प्रकार	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	17.39 स्टै. एकड़ भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है, जो अधिग्रहण योग्य है। खातेदार द्वारा न्यायालय परगना अधिकारी के निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा में प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29/12/75 को अपील को निर्णित किया गया, लेकिन अपीलीय न्यायालय में पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय RAA कोटा द्वारा निम्न निर्णय पारित (दिनांक 7/8/76) किया गया - " अपील अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का आदेश दिनांक 24/11/75 यथावत रखा जाता है। " पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि न्यायालय RAA कोटा के निर्णय दिनांक 7/8/76 के उपरान्त से पत्रावली वर्तमान तक तहसीलदार लाडपुरा से पालना रिपोर्ट प्राप्त होने हेतु लम्बित है। लेकिन पत्रावली में संलग्न न्यायालय	उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोटा के निर्णय 3/6/76 एवं प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है - खातेदार के विरुद्ध नये सीलिंग कानून में कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा परगना अधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय 17/2/76 द्वारा प्रार्थी (खातेदार) की कुल आराजीयात को 56.27 स्टै. एकड़ माना तथा खातेदार के परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर 35 स्टै. एकड़ भूमि रखने का अधिकारी मानते हुए 21.27 स्टै. एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान किए गए। न्यायालय परगना अधिकारी के निर्णय 17/2/76 के विरुद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोटा में प्रस्तुत की गई। न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोटा द्वारा अपने निर्णय 3/6/76 द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया - "उपरोक्त साक्ष्य, विवेचन एवं तर्कों के आधार पर यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ग्राम कैथोडी में स्थित उपरोक्त आराजीयात रकबा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
रकबा 150 बीघा 5 बिस्वा स्पष्टतया प्रार्थी सेवाराम की खातेदारी में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रार्थी सेवाराम के पास ग्राम कैथोड़ी में रहलाडपुरा में कुल आराजीयात 206 बीघा 11 बिस्वा है जिसमें से 150 बीघा 5 बिस्वा आराजी कम करदी जावे तो उसके पास 56 बीघा 6 बिस्वा आराजी रह जाती है, जो स्पष्टतया सीलिंग प्रावधानों से प्रभावित नहीं है, क्योंकि चम्बल कमाण्ड परियोजना में होने से 71% आश्वस्त सिंचाई क्षमता के आधार पर एक यूनिट के लिए 75 बीघा 8 1/2 बिस्वा आराजी अपने पास रख सकता है, जबकि उसके पास 56 बीघा 6 बिस्वा आराजी ही रह जाती है।"	
न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश कोटा के आदेश दिनांक 3/6/1976 द्वारा खातेदार सेवाराम के विरुद्ध जारी सीलिंग कार्यवाही को नये सीलिंग कानून के तहत ड्राप कर दिया गया था। पत्रावली के अवलोकन से	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश कोटा के आदेश दिनांक 3/6/1976 के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील किया जाना प्रमाणित नहीं होता। इस प्रकार न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश कोटा का निर्णय दिनांक 3/6/1976 अंतिम हो जाता है।	22/5/02 12/8/02
	उक्त तथ्य का प्रमाणीकरण हस्तगत पत्रावली में संलग्न तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट दिनांक 03/03/2011 से भी होता है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा के आदेश उपरान्त दिनांक 27/3/76 को ग्राम कैथूडी में 4.35 स्टै. एकड़ तथा ग्राम रहलाउपुरा में दिनांक 30/5/76 को 7.73 स्टै. एकड़ भूमि कब्जा ले ली गई थी। लेकिन न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश कोटा के आदेश दिनांक 3/6/76 से सीलिंग सेवाराम से प्राप्त की सीलिंग प्रभावित नहीं माना है। उक्त आदेश भी	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
पालना में सीलिंग अधिग्रहित भूमि खातेदार को वापस संभला दी गई॥ उक्त विवेचन से प्रमाणित है कि सीलिंग केस में सक्षम अधिकारी के निर्णय उपरान्त सीलिंग प्रभावित भूमि को कब्जा सम्भलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी लेकिन नये सीलिंग कानून के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश कोटा के निर्णय दिनांक 3/6/1976 के उपरान्त खातेदार सेवाराम के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही ड्राप कर दी गई तथा कब्जा सम्भलाई गई भूमि पुनः खातेदार को लौटा दी गई। उक्त परिस्थितियों में जबकि नये सीलिंग कानून के तहत खातेदार के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही को न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश कोटा द्वारा ड्राप कर दिया गया है। हस्तगत पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह न्यायालय हस्तगत लम्बित	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली को पत्रावलित किया जाना न्यायोचित पाता हूँ। . उक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रकरण कोई कार्यवाही शेष ना होने के कारण पत्रावलित किया जाता है . पत्रावली मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो। 05/05/2026 उपखण्ड अधिकारी कोटा (मुहर: उपखण्ड अधिकारी [illegible] कोटा)	